भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4861

सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

"एकीकृत वार्षिक विवरणी"

†4861. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री अतुल गर्ग:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अनेक पृथक फाइलिंग के स्थान पर एक ही सरलीकृत डिजिटल फॉर्म लाकर प्रतिष्ठानों के लिए "एकीकृत वार्षिक विवरणी" की प्रणाली लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त गैर-विनियमन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अनुपालन संबंधी भार और "इंस्पेक्टर राज" को काफी हद तक कम करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे वे कागजी कार्रवाई के बजाय व्यवसाय के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विनियामक निगरानी को और सुकर बनाने के लिए स्टार्टअप और लघु उद्योगों को विस्तारित की गई "स्व-प्रमाणन" योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सरलीकृत रिपोर्टिंग से महत्वपूर्ण श्रम मानकों और कामगारों की सुरक्षा की निगरानी में कमी न आए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" दृष्टिकोण से विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में किस प्रकार सुधार होगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): जी हां। सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों के लिए एकीकृत वार्षिक रिटर्न की प्रणाली पहले ही लागू कर दी गई है। प्रतिष्ठानों को अब केंद्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत कई रिटर्न के स्थान पर श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) के माध्यम से एकल समेकित वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने की आवश्यकता है।

जारी/2---

कॉमन रिटर्न में शामिल किए गए पूर्ववर्ती अधिनियम और नियम निम्नानुसार हैं: -

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
3. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
4. अंतर -राज्य प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979
5. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
6. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
7. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
8. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
9. कोयला खान विनियमन , धातु खान विनियमन और तेल खान विनियम अधिनियमन , 1952

श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से एकीकृत ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न का उद्देश्य पूर्ववर्ती श्रम अधिनियमों के तहत कई रिपोर्टिंग के अनुपालन बोझ को कम करना है। आठ अधिनियमों के तहत एक एकीकृत वार्षिक विवरणी और खान अधिनियम, 1952 के तहत तीन विनियमों के लिए दूसरा रिटर्न दाखिल किया जाना अपेक्षित था।

हालांकि, दिनांक 21.11.2025 से लागू चार श्रम संहिताओं के तहत, एकल ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान किया गया है।

(ग): नवाचार, स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ परिवेश बनाने के इरादे से सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। सरकार ने एक स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना का भी अनावरण किया, जिसमें देश में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित योजनाएं और प्रोत्साहन शामिल हैं। श्रम सुविधा पोर्टल स्टार्ट-अप को डीपीआईआईटी के स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल से सत्यापन के बाद, पहले वर्ष के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन रिटर्न जमा करने की सुविधा देता है। यूनिट की स्थापना के दूसरे वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक ऐसे स्टार्ट-अप को उनके विरुद्ध सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होने पर अथवा दुर्घटनाओं जैसी आपातकालीन स्थितियों के मामले में ही निरीक्षण के लिए लिया जाता है।

(घ): सरलीकृत रिपोर्टिंग तंत्र महत्वपूर्ण श्रम मानकों या कार्यस्थल सुरक्षा की निगरानी को कम नहीं करता है। श्रम अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए, मानकों और श्रमिकों की सुरक्षा की निगरानी को कम किए बिना बेहतर और व्यापक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और कुशल निरीक्षण प्रणाली के लिए श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक वेब-आधारित निरीक्षण प्रणाली मौजूद है।

(ड.): विनियामक अनुपालन को आसान बनाने और देश भर में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा व्यापार करने की सुगमता के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत

कई पहल की गई हैं जिनमें व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), व्यापार के लिए तैयार मूल्यांकन, जन-विश्वास और व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करना, और प्रशासनिक लागतों के संदर्भ में समस्या के मुख्य बिंदुओं की पहचान करने और उनमें सुधार करने हेतु विनियमन की लागत (सीओआर) अभ्यास शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्व-पहचान अभ्यास में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं जिससे विभिन्न अनुवर्ती कार्रवाईयां सफलतापूर्वक कम हुई हैं।
